

HARYANA STATE CHILD PROTECTION SOCIETY WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT

Bays No. 15-20, Pocket-II, Sector-4, Panchkula
Phone No. 0172-2560349

ADVERTISEMENT HaryanaJobs.in

Applications are invited to fill up posts of Chairperson/Member, Child Welfare Committee (CWC) and Member, Juvenile Justice Board (JJB) in accordance to provisions under **Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 and Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016** as per following qualification, terms and conditions:-

Advertisement -1 Dated 20.07.2021

Sr. No.	District	Name/No. of the post
1.	Jind	Member Child Welfare Committee- 02 posts
2.	Kaithal	Member Child Welfare Committee- 01 post Member Juvenile Justice Board- 01 post (Reserved for female)
3.	Kurukshetra	Chairperson Child Welfare Committee- 01 post
4.	Panchkula	Member Child Welfare Committee- 04 posts (01 post reserved for female) Member Juvenile Justice Board- 01 post
5.	Panipat	Chairperson Child Welfare Committee- 01 post
6.	Sirsa	Chairperson Child Welfare Committee- 01 post Member Child Welfare Committee- 01 post
7.	Yamunanagar	Member Child Welfare Committee- 01 post
8.	Palwal	Member Child Welfare Committee- 01 post

Advertisement-2 Dated 08.09.2021

Sr. No.	District	Name/No. of the post
1.	Ambala	Member Child Welfare Committee- 01 Member Juvenile Justice Board- 01
2.	Bhiwani	Member Child Welfare Committee- 03(01 post reserved for female)
3.	Fatehabad	Member Child Welfare Committee- 03
4.	Faridabad	Chairperson Child Welfare Committee - 01 Member Child Welfare Committee- 04 (01 post reserved for female)
5.	Gurugram	Member Child Welfare Committee- 01
6.	Hisar	Member Child Welfare Committee- 01 (reserved for female) Member Juvenile Justice Board- 01
7.	Jhajjar	Member Child Welfare Committee- 01 (reserved for female)
8.	Karnal	Chairperson Child Welfare Committee - 01 Member Child Welfare Committee- 03
9.	Nuh	Member Child Welfare Committee- 01
10.	Mahendergarh	Chairperson Child Welfare Committee - 01 Member Child Welfare Committee-01 Member Juvenile Justice Board- 01
11.	Panipat	Member Child Welfare Committee-01
12.	Rewari	Chairperson Child Welfare Committee - 01 Member Child Welfare Committee-01
13.	Charkhi Dadri	Chairperson Child Welfare Committee - 01 Member Child Welfare Committee-02 (01 post reserved for female) Member Juvenile Justice Board- 01 (reserved for female)

Advertisement-3 Dated 17.11.2021

Sr. No.	District	Name / No. of the post
1.	Jind	Member Child Welfare Committee- 01
2.	Kaithal	Chairperson Child Welfare Committee - 01
3.	Mahendergarh	Member Child Welfare Committee- 01
4.	Rewari	Member Child Welfare Committee- 01
5.	Charkhi Dadri	Member Child Welfare Committee- 02 Member Juvenile Justice Board- 01

Qualification of Chairperson/Member CWC: Minimum seven years experience of working with children in the field of education, health, or welfare activities, or should be a practicing professional with a degree in child psychology or psychiatry or social work or sociology or human development or in the field of law or a retired judicial officer.

Age for Chairperson/Member CWC: **Above the age of 35 years on the date of advertisement**

Qualification of JJB Member: Minimum seven years experience of working with children in the field of education, health, or welfare activities, or should be a practicing professional with a degree in child psychology or psychiatry or sociology or in the field of law.

Age of JJB Member: **Not less than 35 years on the date of Advertisement.**

Tenure: Three years.

Honorarium: Chairperson/Member, Child Welfare Committee and Member Juvenile Justice Board shall be paid as per sitting which shall include sitting allowance, travel allowance and any other allowance, as the State Government may prescribe.

Terms & Conditions:

1. Applicant must have a domicile of Haryana.
2. Applicant will maintain his/her headquarter as the presence is required even at odd hours or on short notice and the appointment will be cancelled if headquarter is not maintained.
3. Applicant shall have to submit a self-declaration/affidavit on the following points with application form. All conditions from (i) to (vii) of the following point must be fulfilled.
 - i. He/ she has not previous conviction record.
 - ii. He/ she has not been involved in any immoral act or in the Act of Child abuse or employment of child labour.
 - iii. He/ she is not holding such other full time occupation that does not allow him/ her to give necessary time and attention to the work.
 - iv. He/she will give details about his/her previous/present post tenure in any district of Juvenile Justice Board and Child Welfare Committee.
 - v. No enquiry is pending against him/ her in any agency/ court.
 - vi. The applicant should not have any past record of violation of human rights or child rights.
 - vii. The applicant should not have been removed or dismissed from service of the Central Government or a State Government or an undertaking or Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government .
4. Willing candidates may send / submit their application form on the prescribed format on or before 24.06.2022 till 5.00 P.M. along with supporting documents i.e. educational qualification and experience certificate etc. in the office of concerned District Programme Officer, Women and Child Development of respective district.
5. Direct application received at Headquarter of WCD, will be rejected.
6. Department reserves the right to reject the incomplete application form without any prior notice of the candidate.
7. Incomplete application form in any manner will be rejected.
8. Prescribed application proforma may be downloaded from the departmental website www.wcdhry.gov.in.

****Note: Those applicants who have already applied in the above mentioned 3 advertisement need not to apply for the same.**

Member Secretary
Haryana State Child Protection Society Women and
Child Development Department
Haryana, Panchkula.

गया है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को दूरसंचार विभाग देशभर में पहले आवासीय त्रुण लेने में आसानी 4जी सेवा का विस्तार करना चाहता है हो जाएगी। अब टियर-1 अर्बन क्योंकि 4जी सेवा के बाद 5जी सेवा कोआपरेटिव बैंकों (यूसीबी) के में शिफ्ट होने में परेशानी नहीं होती है। व्यक्तिगत आवास त्रुण की सीमा

व्यवसायीकरण में सुधार पर जोर दें सार्वजनिक उद्यम : सीतारमण

गणौनगर, प्रेद: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से व्यवसायीकरण में सुधार, खर्च कम करने और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने पर विचार करने को कहा है। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के राष्ट्र निर्माण में योगदान पर आयोजित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद

विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रमुखों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, 'अब सार्वजनिक उपक्रमों के लिए यह साबित करने का समय आ गया है कि वे पहले की तुलना में व्यवसायीकरण में सुधार करने के लिए ज्यादा उत्सुक हैं। जहाँ संभव हो वहाँ निजी क्षेत्र के साथ मिलकर उनकी दक्षता का लाभ उठा सकते हैं।' वित्तमंत्री ने वर्ष 2021 में घोषित नीति का जिक्र करते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उन निजी क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा के बारे में विचार करना चाहिए।



निर्मला सीतारमण
● फाइल फोटो

हरियाणा राज्य बाल संरक्षण समिति महिला एवं बाल विकास विभाग

बेज सं. 15-20, पॉकेट-II, सेक्टर-4, पंचकूला
दूरभाष सं. : 0172-2560349

विज्ञापन

निम्नलिखित योग्यता, नियम एवं शर्तों के अनुसार जुवेनियल जस्टिस (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 और जुवेनियल जस्टिस (बाल देखभाल एवं संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के अंतर्गत प्रावधानों अनुसार अध्यक्ष/ सदस्य बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) व सदस्य, जुवेनियल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) के पद भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

Advertisement -1 Dated 20.07.2021

Sr. No.	District	Name/No. of the post
1.	Jind	Member Child Welfare Committee- 02 posts
2.	Kaithal	Member Child Welfare Committee- 01 post Member Juvenile Justice Board- 01 post(Reserved for female)
3.	Kurukshetra	Chairperson Child Welfare Committee- 01 post
4.	Panchkula	Member Child Welfare Committee- 04 posts (01 post reserved for female) Member Juvenile Justice Board- 01 post
5.	Panipat	Chairperson Child Welfare Committee- 01 post
6.	Sirsa	Chairperson Child Welfare Committee- 01 post Member Child Welfare Committee- 01 post
7.	Yamunanagar	Member Child Welfare Committee- 01 post
8.	Palwal	Member Child Welfare Committee- 01 post

Advertisement -2 Dated 08.09.2021

Sr. No.	District	Name/No. of the post
1.	Anbala	Member Child Welfare Committee- 01 Member Juvenile Justice Board- 01
2.	Bhiwani	Member Child Welfare Committee- 03(01 post reserved for female)
3.	Fatehabad	Member Child Welfare Committee- 03
4.	Faridabad	Chairperson Child Welfare Committee - 01 Member Child Welfare Committee- 04 (01 post reserved for female)
5.	Gurugram	Member Child Welfare Committee- 01
6.	Hisar	Member Child Welfare Committee- 01 (reserved for female) Member Juvenile Justice Board- 01
7.	Jhajjar	Member Child Welfare Committee- 01 (reserved for female)
8.	Kamal	Chairperson Child Welfare Committee - 01 Member Child Welfare Committee- 03
9.	Nuh	Member Child Welfare Committee- 01
10.	Mahendergarh	Chairperson Child Welfare Committee - 01 Member Child Welfare Committee-01 Member Juvenile Justice Board- 01
11.	Panipat	Member Child Welfare Committee-01
12.	Rewari	Chairperson Child Welfare Committee - 01 Member Child Welfare Committee-01
13.	Charkhi Dadri	Chairperson Child Welfare Committee - 01 Member Child Welfare Committee-02 (01 post reserved for female) Member Juvenile Justice Board- 01 (reserved for female)

Advertisement -3 Dated 17.11.2021

Sr. No.	District	Name/No. of the post
1.	Jind	Member Child Welfare Committee- 01
2.	Kaithal	Chairperson Child Welfare Committee - 01
3.	Mahendergarh	Member Child Welfare Committee- 01
4.	Rewari	Member Child Welfare Committee- 01
5.	Charkhi Dadri	Member Child Welfare Committee- 02 Member Juvenile Justice Board- 01

सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष/सदस्य की योग्यता : शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण गतिविधियों के क्षेत्र में बच्चों के साथ काम करने का सात वर्षों का अनुभव या बाल मनोविज्ञान या साइकाईट्रिस्ट या सोशल वर्क या सोसोलोजी या मानव विकास में डिग्री या कानून के क्षेत्र में या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी पेशेवर होना चाहिए।

सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष और सदस्य की आयु : विज्ञापन की तिथि को 35 वर्ष से ऊपर

HaryanaJobs.in

जेजेबी सदस्य की योग्यता : शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण गतिविधियों के क्षेत्र में बच्चों के साथ काम करने का सात वर्षों का अनुभव या बाल मनोविज्ञान या साइकाईट्रिस्ट या सोसोलोजी में डिग्री या कानून के क्षेत्र में पेशेवर होना चाहिए।

जेजेबी सदस्य की आयु : विज्ञापन की तिथि को 35 वर्ष से कम

अवधी : 3 वर्ष

मानदेय : अध्यक्ष और सदस्य, बाल कल्याण समिति को बैठक अनुसार भुगतान किया जाएगा जिसमें बैठक भत्ता या यात्रा भत्ता और कोई अन्य भत्ता शामिल है जो राज्य सरकार निर्धारित करती है।

नियम एवं शर्तें :-

- आवेदन हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को अपने मुख्यालय का प्रबंधन करना होगा जैसे उसकी उपस्थिति असुविधा घंटों में या अल्प सूचना पर भी आवश्यक है तथा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी यदि मुख्यालय का प्रबंध नहीं किया जाता है।
- आवेदक को आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित प्वाइंट पर स्वयं घोषण/हल्फनामा प्रस्तुत करना होगा। निम्नलिखित प्वाइंट (i) से (vii) तक की सभी शर्तें पूरी करनी होंगी।
 - उसका पीछले रिकॉर्ड में दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए।
 - वह किसी अनैतिक कृत्य या बाल दुरव्यवहार या बाल श्रम के रोजगार में शामिल नहीं रहा है।
 - वह ऐसा कोई पूर्ण कालिक कार्य नहीं करता है जो उसे अनिवार्य समय देने और कार्य पर ध्यान देने की अनुमति नहीं देता है।
 - उसे किसी जिले के जुवेनियल जस्टिस बोर्ड और बाल विकास समिति में उसे अपने पीछले/वर्तमान पद अवधि के बारे में विवरण देना होगा।
 - कोई पूछताछ किसी एजेंसी/न्यायालय में उसके विरुद्ध लंबित नहीं है।
 - आवेदक का मानव अधिकार या बाल अधिकार के उल्लंघन का कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
 - आवेदक केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी उपक्रम या निगम या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सेवाओं से हटाया या बर्खास्त नहीं होना चाहिए।
- इच्छुक आवेदक संबंधित जिलों के संबंधित जिला प्रोग्राम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास के कार्यालय में समर्थन दस्तावेज अर्थात् शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र आदि सहित 24.06.2022 को सायं 5.00 बजे तक या इससे पूर्व निर्धारित प्रारूप पर अपने आवेदन फार्मों को भेज/प्रस्तुत कर सकते हैं।
- डब्ल्यूसीडी मुख्यालय में सीधे प्राप्त आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे।
- विभाग के पास उम्मीदवार को बिना किसी पूर्व सूचना के अपूर्ण आवेदन फार्म को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- किसी भी प्रकार से अपूर्ण आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे।
- निर्धारित आवेदन प्रपत्र विभागीय वेबसाइट www.wcdhry.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

** नोट : उन आवेदकों को जो उपरोक्त वर्णित तीन विज्ञापन में पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उन्हें इसके लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

HaryanaJobs.in

सदस्य सचिव
हरियाणा राज्य बाल संरक्षण समिति
महिला एवं बाल विकास विभाग
हरियाणा, पंचकूला

हरियाणा राज्य बाल संरक्षण समिति महिला एवं बाल विकास विभाग

बेज सं. 15-20, पॉकेट-II, सेक्टर-4, पंचकूला
दूरभाष सं. : 0172-2560349

विज्ञापन

निम्नलिखित योग्यता, नियम एवं शर्तों के अनुसार जुवेनियल जस्टिस (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 और जुवेनियल जस्टिस (बाल देखभाल एवं संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के अंतर्गत प्रावधानों अनुसार अध्यक्ष/सदस्य बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) व सदस्य, जुवेनियल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) के पद भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

Sr. No.	District	Name/No. of the post
1.	Ambala	Member Child Welfare Committee-02 Posts
2.	Bhiwani	Member Child Welfare Committee-01 Post (Reserved for Female)
3.	Fatehabad	Member Child Welfare Committee-01 Post Member Juvenile Justice Board-01 Post
4.	Gurugram	Member Child Welfare Committee-02 Posts
5.	Hisar	Member Child Welfare Committee-01 Post
6.	Jind	Member Juvenile Justice Board-01 Post(Reserved for Female)
7.	Jhajjar	Chairperson Child Welfare Committee-01 Post Member Child Welfare Committee-01 Post
8.	Kaithal	Member Child Welfare Committee-02 Posts (01 Reserved for Female)
9.	Kurukshetra	Member Child Welfare Committee-03 Posts (01 Reserved for Female)
10.	Mewat (Nuh)	Chairperson Child Welfare Committee-01 Post Member Child Welfare Committee-03 Posts (01 Reserved for Female)
11.	Narnaul	Member Juvenile Justice Board-01 Post(Reserved for Female)
12.	Panchkula	Member Juvenile Justice Board-01 Post (Reserved for Female)
13.	Panipat	Member Child Welfare Committee-02 Posts (01 Reserved for Female)
14.	Rohtak	Chairperson Child Welfare Committee-01 Post Member Child Welfare Committee-01 Post Member Juvenile Justice Board-01 Post(Reserved for Female)
15.	Rewari	Member Child Welfare Committee-02 Posts (01 Reserved for Female)
16.	Sirsa	Member Child Welfare Committee-02 Posts
17.	Sonepat	Member Child Welfare Committee-02 Posts
18.	Yamunanagar	Member Child Welfare Committee-01 Post

सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष/सदस्य की योग्यता : शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण गतिविधियों के क्षेत्र में बच्चों के साथ काम करने का सात वर्षों का अनुभव या बाल मनोविज्ञान या साइकाईट्रिस्ट या सोशल वर्क या सोसोलोजी या मानव विकास में डिग्री या कानून के क्षेत्र में या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी पेशेवर होना चाहिए।

सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष और सदस्य की आयु : विज्ञापन की तिथि को 35 वर्ष से ऊपर

जेजेबी सदस्य की योग्यता : शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण गतिविधियों के क्षेत्र में बच्चों के साथ काम करने का सात वर्षों का अनुभव या बाल मनोविज्ञान या साइकाईट्रिस्ट या सोसोलोजी में डिग्री या कानून के क्षेत्र में पेशेवर होना चाहिए।

जेजेबी सदस्य की आयु : विज्ञापन की तिथि को 35 वर्ष से कम

अवधी : 3 वर्ष

मानदेय : अध्यक्ष और सदस्य, बाल कल्याण समिति को बैठक अनुसार भुगतान किया जाएगा जिसमें बैठक भत्ता या यात्रा भत्ता और कोई अन्य भत्ता शामिल है जो राज्य सरकार निर्धारित करती है।

नियम एवं शर्तें :-

- आवेदन हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को अपने मुख्यालय का प्रबंधन करना होगा जैसे उसकी उपस्थिति असुविधा घंटों में या अल्प सूचना पर भी आवश्यक है तथा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी यदि मुख्यालय का प्रबंध नहीं किया जाता है।
- आवेदक को आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित प्वाइंट पर स्वयं घोषण/हल्फनामा प्रस्तुत करना होगा। निम्नलिखित प्वाइंट (i) से (vii) तक की सभी शर्तें पूरी करनी होंगी।
 - उसका पीछले रिकॉर्ड में दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए।
 - वह किसी अनैतिक कृत्य या बाल दुरव्यवहार या बाल श्रम के रोजगार में शामिल नहीं रहा है।
 - वह ऐसा कोई पूर्ण कालिक कार्य नहीं करता है जो उसे अनिवार्य समय देने और कार्य पर ध्यान देने की अनुमति नहीं देता है।
 - उसे किसी जिले के जुवेनियल जस्टिस बोर्ड और बाल विकास समिति में उसे अपने पीछले/वर्तमान पद अवधि के बारे में विवरण देना होगा।
 - कोई पूछताछ किसी एजेंसी/न्यायालय में उसके विरुद्ध लंबित नहीं है।
 - आवेदक का मानव अधिकार या बाल अधिकार के उल्लंघन का कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
 - आवेदक केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी उपक्रम या निगम या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सेवाओं से हटाया या बर्खास्त नहीं होना चाहिए।
- इच्छुक आवेदक संबंधित जिलों के संबंधित जिला प्रोग्राम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास के कार्यालय में समर्थन दस्तावेज अर्थात् शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र आदि सहित 24.06.2022 को सायं 5.00 बजे तक या इससे पूर्व निर्धारित प्रारूप पर अपने आवेदन फार्मों को भेज/प्रस्तुत कर सकते हैं।
- डब्ल्यूसीडी मुख्यालय में सीधे प्राप्त आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे।
- विभाग के पास उम्मीदवार को बिना किसी पूर्व सूचना के अपूर्ण आवेदन फार्म को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- किसी भी प्रकार से अपूर्ण आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे।
- निर्धारित आवेदन प्रपत्र विभागीय वेबसाइट www.wcdhry.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

सदस्य सचिव
हरियाणा राज्य बाल संरक्षण समिति
महिला एवं बाल विकास विभाग
हरियाणा, पंचकूला